# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

**(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)**

प्रकरण संख्या 21/2018

इन्द्रमल पुत्र भूरालाल जाति प्रजापत निवासी कुम्हारो का मोहल्ला झिलाय तहसील निवाई जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक

-प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**<u>निर्णय</u>** **दिनांक 13.06.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को आवेदन पत्र दिनांक 26.02.2018 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

कार्यालय तहसीलदार निवाई द्वारा पत्रावली संख्या 11/1982 निर्णय दिनांक 12.10. 1982 को ग्राम झिलाय ख0नं0 859 मे श्रीमति आशादेवी पत्नि श्री द्वारका प्रसाद बैरवा निवासी झिलाय के नाम जारी 750 वर्गगज भूमि का पट्टा एंव मौका नक्शा की प्रमाणित प्रति जारी करने की मेहरबानी करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को पत्र कमांक 768 दिनांक 07.05.2018,841 दिनांक 24.05.2018,886 दिनांक 31.05.2018 व 911 दिनांक 06.06.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई ने पत्र कमांक 834 दिनांक 21.05.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र कमांक 621 दिनांक 11.04.2018 से अपीलार्थी को सूचना के संबंध मे सूचित किया जा चुका है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक